(2)

लोक लेखा समिति मामला

संख्याः फिन–ए–डी (5)–1/2021–I
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

P& Cell
DHE...
03 OCT 2024
Branch Budget Br.

प्रेषकः

प्रधान सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002

प्रेषितः

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिमला–171002, 30/09/2024

विषयः **माननीय लोक लेखा समिति के 73वें से 79वें प्रतिवेदन (चौहदवीं विधान सभा) (वर्ष 2024–25) जो कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 से 2020–21 तक (राज्य के वित्त) पर आधारित है तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है, में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त वर्ष 2014–15 से 2020–21 में हुए अधिक व्यय के कारण संकलित करके ज्ञापन माननीय लोक लेखा समिति के विचारार्थ भेजे गये थे जिस पर माननीय समिति ने आधिक्य पर विभागवार टिप्पणी/सिफारिशों के अतिरिक्त आदर्श आर्थिक प्रबन्धन के लिए निम्न सिफारिशें दी हैं तथा इन सिफारिशों की अक्षरशः अनुपालना की अपेक्षा की है:–

1 विभागों की आन्तरिक व्यवस्था को इस तरह सुधारा जाए ताकि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से व्यय की सम्पूर्ण सूचना निरन्तर नियमित रूप से विभागाध्यक्ष तक पहुंच सके।

2 भण्डार सामग्री क्रय को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप सीमित रखा जाए तथा अन्तिम महीने/त्रैमासिक में बजट खर्च करने की प्रवृति पर पूर्ण रोक लगाई जाए।

3 बकाया राजस्व की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाया जाए तथा अधिक से अधिक वसूली सुनिश्चित की जाए।

---कृ०पृ० 30

4 वित्त विभाग की पूर्व अनुमति/अनुमोदन के बिना अतिरिक्त व्यय करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/विभागाध्यक्षों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा आवश्यकता से पूर्व खजाने से राशि निकालने जैसी गैर-जिम्मेदाराना प्रवृति को रोका जाए।

5 जो विभाग वित्त/योजना विभाग की स्वीकृति के बिना धन का दुरूपयोग/आधिक्य करते हैं उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं ताकि इस प्रवृति पर रोक लगाई जा सके।

6 उक्त सिफारिशों के अनुरूप कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम आधिक्य हो तथा यह आधिक्य नियमानुसार वित्त विभाग से अनुमोदन के बिना न किया जाए।

विभागों द्वारा वित्तीय अनुशासन की पूरी तरह अनुपालना न करने के कारण समिति ने आपत्ति जताई है तथा अपेक्षा की है कि भविष्य में आधिक्य की प्रवृति को यथासंभव कम किया जाये तथा वित्तीय अनुशासन/नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि इन सिफ़ारिशों में उठाई गई प्रत्येक मद को गम्भीरता से लेते हुए उसमें उचित कार्रवाई की जाए और मद्वार कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए। यदि भविष्य में विभागों द्वारा वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया जाता है तो वित्त विभाग सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करने के लिए बाध्य होगा।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

23 OCT 2024

Endst. No. : Shiksha – U (A-4) Audit (A.G.) 2396-99 dt. 26 Oct. 2024
Office of the Deputy Director of Higher Education
Una District Una H.P.

Copy forwarded to:-

1 All the Principal,s/H.M. GSSS/GHS cum the Drawing & Disbursing Officer of Una Distt. HP for information and compliance.
2 A-1,A-II and G-1 (Internal Branches) for compliance.
3 Guard file.

Dy. Director of Higher Education
Una District Una HP